लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष: 0755–2583650, फैक्स: 2583651, ई–मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/समन्वय/बी/2019/03 भोपाल, दिनांक 10.1.19

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 24.12.2018 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 24.12..2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। अगले वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में इसकी समीक्षा की जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(गौतम सिंह)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2019/04 भोपाल, दिनांक 10.1.19
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

वीडियो कान्फ्रेसिंग दिनांक 24.12.2018 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 24.12.2018 को अपरान्ह 4:00 बजे मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के एन.आई.सी. कक्ष क्रमांक–66 में आयुक्त, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संचालनालय, लोक शिक्षण के अधिकारीगण व मैदानी स्तर के संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम बैठक प्रारंभ करते हुये श्री जी.आर.वाईकर,उप संचालक, लोक शिक्षण द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला परियोजना अधिकारियों की उपस्थिति ली जाकर उपस्थिति सुनिश्चित की गई। इसके पश्चात् बिन्दुबार निम्नानुसार समीक्षा की गई :–

1. वर्चुअल क्लॉस रूम समीक्षा :–

- श्री शितांशु शुक्ला, संयुक्त संचालक द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराया कि जिला/ब्लॉक स्तर के उत्कृष्ट विद्यालयों में दिनांक 27.12.18 से कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों हेतु प्री मेडिकल तथा प्री इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एलन केरियर इंस्टीट्यूट कोटा द्वारा प्रातः 9:30 से 1:30 बजे तक वर्चुअल कक्षायें संचालित की जायेगी। अतः संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि वर्चुअल क्लास चालू रखें।
- जिन छात्रों द्वारा आई.आई.टी और नीट की परीक्षा की तैयारी की जा रही है उन्हें सूचित कर इन कक्षाओं में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें।
- प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 224 विकास खंडो के वर्चुअल क्लॉस रूमों में से 172 ही संचालित रहे हैं। स्कूलों में वर्चुअल क्लास संचालन की दैनिक मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रतिदिन की जाए। असंचालित वर्चुअल क्लास के कस्टोडियन टीचर एवं प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

2. अध्यापकों के नवीन कैडर में नियुक्ति की समीक्षा :–

- अध्यापकों के नवीन कैडर में नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। लगभग 6000 अध्यापकों के सत्यापन के मामले लंबित हैं। सत्यापन का कार्य डी.डी.ओ./संकुल स्तर पर नहीं हो पा रहा है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्त कार्य शीघ्र किये जाने के निर्देश दिए गए। जिला पात्रता समिति के समक्ष पात्र/अपात्र अध्यापकों की सूची तत्काल प्रस्तुत कर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।
- संभागीय/जिलास्तर से आदेश जेनेरेट होने संबंधी प्रगति भी अपेक्षित गति अनुसार नहीं है। सीधी, खंडवा, रीवा, सतना, शिवपुरी, भिंड एवं आगर मालवा के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से संपर्क कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- आयुक्त द्वारा सभी संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं डी.पी.सी को निर्देशित किया गया कि अध्यापकों के नियुक्ति के सत्यापन कार्य एवं आदेश जेनेरेट का कार्य गम्भीरतापूर्वक शीघ्र करायें एवं जिला स्तर पर कोई कठिनाई आने पर संबंधित कलेक्टर से सम्पर्क कर मुझे अवगत करायें। संयुक्त संचालक,ग्वालियर को विशेष रूप से जिलेवार समीक्षा कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उक्त प्रक्रिया में बार–बार समय बढ़ाया जा रहा है यह खेद का विषय है। कृपया सभी अधिकारी दिनांक 26.12.18 को जिला पात्रता समिति की बैठक रखें और दिनांक 15.01.2019 तक उक्त कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
- श्री सुमनकांत जैन द्वारा अध्यापकों की नवीन कैडर में नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया।
- सम्पूर्ण प्रदेश में मात्र 47 अध्यापकों को अपात्र किया गया है कृपया पात्र/अपात्र किए जाने के निर्देशों को ध्यान में रख कर कार्यवाही शीघ्र करें। संचालनालय स्तर से जारी होने वाले आदेशों में कुछ प्रकरण शेष हैं उनकी जानकारी शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए।

3. **एक परिसर एक शाला की समीक्षा :–**

- एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन की जिलेवार समीक्षा की गई। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं डी.पी.सी.को निर्देशित किया कि शाला में एक ही बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। विद्यालय एक यूनिट की तरह कार्य करें। इसके अतिरिक्त एकीकृत शाला में एक प्राचार्य/प्रधानाध्यापक कक्ष एक भंडार कक्ष एवं एक स्टाफ रूप की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।
- संचालनालय द्वारा जारी आदेश में संलग्न प्रपत्र अनुसार जिला कलेक्टर से आदेश जारी किया जाना है कृपया सभी संयुक्त संचालक एक सप्ताह में आदेश जारी करायें और संचालनालय/राज्य शिक्षा केन्द्र को ई–मेल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायें।
- माध्यमिक शालाओं में पदस्थ प्रधानाध्यापकों का 19/20 दिसंबर को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के माध्यम से किया गया है शेष प्रधान अध्यापकों और प्राचार्यों का प्रशिक्षण जिला प्रभारी अधिकारी के माध्यम से करें।
- प्रत्येक जिले में ओ.आई.सी.द्वारा 3 दिवसीय भ्रमण किया जाना है। ओ.आई.सी एक परिसर एक शाला का भौतिक निरीक्षण करेंगे और प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य के साथ बैठक करेंगे।
- एक परिसर एक शाला में उपलब्ध सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों को शाला प्रमुख द्वारा सम्मिलित शैक्षिक व्यवस्था के तहत कार्य करना है। कैम्पस में एक स्टॉफ रूम और एक ही स्टोर रूम भी बनाना है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, डी.पी.सी. और ए.पी.सी मिलकर इस कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी सख्ती से आदेशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

9

- एक परिसर एक शाला योजना से विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक छात्रों को एक ही कैम्पस में अध्ययन का लाभ मिलेगा। कैम्पस में खेलकूद, पुस्तकालय आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है कृपया आप सभी इस कार्य को गम्भीरता से पूर्ण करायें।
- जिला शिक्षा अधिकारी हरदा द्वारा अवतगत कराया कि एक शाला एक परिसर के तहत एक विद्यालय में लगभग 1600 छात्रायें दर्ज हैं। इस विद्यालय में शिक्षकों द्वारा अध्यापन में रूचि नहीं ली जा रही है। कृपया इस समस्या का निदान संचालनालय स्तर से किए जाने का अनुरोध है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी दमोह द्वारा वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला की वरिष्ठता निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में आयुक्त ने संभागीय संयुक्त संचालकों को उक्त समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
- अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में आयोजित बैठक में जिला विदिशा, भिण्ड, मुरैना, गुना, अशोकनगर, दतिया, जबलपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ इत्यादि 26 जिलों से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए हैं। कृपया दिनांक 26.12.2018 को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराये। वित्त विभाग के पत्र अनुसार 86 प्रतिशत अध्यापकों को अंशदायी पेंशन का पैसा जमा हो रहा है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक, उज्जैन द्वारा किए जा रहे अंशदायी कटोत्रे की प्रक्रिया को अमल में लायें और कटोत्रा की राशि को एन.एस.डी.एल.में जमा करायें। इस संबंध में संयुक्त संचालक, उज्जैन ने उक्त प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया।

4. न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा :–

- श्री ए.के.त्रिपाठी, सहायक संचालक द्वारा विधि प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि गूगल ड्राईव पर प्रकरण को देखें और आगामी कार्यवाही शीघ्र प्रस्तुत (जवाबदावा) करें। माननीय उच्च न्यायालय की साईट पर अवमानना प्रकरणों की सम्पूर्ण जानकारी पी.डी.एफ.फाईल के रूप में प्रदर्शित होती है कृपया साईट से उक्त जानकारी तत्काल देखें और प्रकरण को निराकृत करायें। आप सभी संवेदनशीलता से रिट अपील यदि दायर की जाना है तो एकल नस्ती में प्रस्ताव तत्काल भेजें जिससे आगामी कार्यवाही कर निराकरण किया जा सके। न्यायालयीन प्रकरणों हेतु राशि आवंटित की गई है समय सीमा में भुगतान की कार्यवाही करें। वर्तमान में न्यायालय में अवकाश चल रहे हैं इस दौरान सभी प्रकरणों में रिटर्न फाईल करायें।

5. सी.एम.हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा :–

- सी.एम.हेल्पलाईन प्रकरणों में काफी वृद्धि हो रही है जिसमें एल–4 लेवल पर जिला रीवा 759, जबलपुर 391, मुरैना 379, टीकमगढ़ 339, सतना 333, शिवपुरी 322, भिंड 710, ग्वालियर 256, दमोह 224 इसी प्रकार भोपाल, सीधी,छतरपुर एवं मंदसौर आदि

जिलों में काफी प्रकरण लंबित हैं। सभी संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करायें।

- अकादमिक मॉनिटरिंग के संबंध में विगत वीडियो कान्फ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं तदोपरांत भी इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी की प्रविष्टि नहीं की जा रही है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने स्कूल विजिट की जानकारी का पत्रक नहीं भरा है। ए.डी.पी.सी द्वारा भ्रमण नहीं किया जा रहा है भ्रमण कर अकादमिक ग्रेडिंग सुनिश्चित करें। प्रतिभा पर्व के संबंध में स्कूलों की विजिट की गूगल ड्राईव पर निर्धारित फार्मेट में जानकारी अपलोड करायें जिससे छात्रों की दक्षता का मूल्यांकन हो सके। रेमेडियल टीचिंग का ऑनलाईन फार्मेट दिया गया है जो अभी तक भरा नहीं गया है। सभी मैदानी अधिकारी शैक्षणिक व्यवस्था में पूरी तरह लग जायें और छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार करें। कक्षा 10वीं के छात्रों का कैरियर मित्र टेस्ट कराना सुनिश्चित करें।
- अशासकीय विद्यालयों को नवीन मान्यता एवं मान्यता वृद्धि का कैलेण्डर जारी किया गया है। समस्त संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी कृपया सुनिश्चित करें कि कैलेण्डर में दर्शायी तिथि अनुसार ही टीम गठित कर शालाओं का निरीक्षण करायें और निर्धारित समयावधि में मान्य/अमान्य का निराकरण करें। अपील की स्थिति में विद्यालयों द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी पर ही विचार किया जायेगा। बाद में प्राप्त जानकारी पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आयुक्त द्वारा समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कार्यरत् शैक्षणिक अमले को परीक्षाओं तक किसी अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं किया जाये।
- आकादमिक मॉनिटरिंग में टीकमगढ, सीधी, धार, जबलपुर, गुना, बुराहनपुर, रायसेन, शिवपुरी, शाजापुर, खरगौन, राजगढ, भिंड जिलों में कई स्कूलों द्वारा जानकारी नहीं भरी गई है। अतः ये जिले एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण करें।
- प्राप्त सईकिलों का वितरण तुरंत करना सुनिश्चित करें। सईकिल प्राप्त होने के बाद वितरण रोका न जाये।
- प्रतिभा पर्व में सभी स्कूलों का बाहय मुल्यांकन 30 दिसम्बर तक पूर्ण करायें।
- जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों का भमण निर्धारित अनुसार नहीं कर रहे हैं। भ्रमण सुनिश्चित करें तथा सभी स्कूलों में रेमेडियल टीचिंग संचालन की नियमित मॉनिटरिंग करें।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश